न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 666–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–1–2012 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 163/अ–6/2010–11.

1– नासिर मोहम्मद खान
2– जफरउल्ला खान
3– रहमानउल्ला खान
4– श्रीमती राबिया खान
5– श्रीमती नसरत खान
6– अमानउल्ला खान
7– श्रीमती शौकत अली
8– श्रीमती आफताफ वारसी
पुत्र/पुत्री स्व. कैप्टन असदउल्ला खान
निवासी कॉटेज नं. 9 अहमदाबाद
कोहेफिजा, सुल्तानिया रोड, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

सईदउल्ला खान आ. स्व. कैप्टन असदउल्ला खान
निवासी होटल इम्पीरियल सेबर
व्ही.आई.पी. रोड, भोपाल .....अनावेदक

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.ए. सोमानी अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–1–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कोहेफिजा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 56, 64 एवं 65 रकबा 1.20 एकड़, जिस पर कम्पाउण्ड एवं बंगला बना है, आवेदकगण के पिता कैप्टन असदउल्ला खान के नाम पर थी । उक्त सम्पत्ति आज दिनांक तक किसी व्यक्ति अथवा संस्था को विक्रय, दान, वसीयत, नामांतरण आदि नहीं किया गया है, और आवेदकगण के पिता कैप्टन असदउल्ला खान द्वारा आवेदकगण के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उनका नामांतरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा 163/अ–6/2010–11 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में न्यायालय चौदहवें अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल के समक्ष व्यवहार वाद प्रचलित है, जिसमें दिनांक 16–12–2011 को व्यवहार न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं, जो नामांतरण प्रकरण पर बंधनकारी है, अतः कार्यवाही स्थगित की जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 3–1–2012 को अंतरिम आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रकाश में प्रकरण समाप्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया गया है, अतः तहसीलदादर द्वारा प्रकरण समाप्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा केवल नामांतरण के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रकरण समाप्त करने में विधि के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामांतरण की कार्यवाही करने के लिए तहसील न्यायालय ही सक्षम है, और व्यवहार न्यायालय द्वारा नामांतरण की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभय पक्ष को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, और तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने से प्रश्नाधीन भूमि की स्थिति में परिवर्तन होगा, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन

में प्रकरण समाप्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है, इस कारण भी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय से स्थगन होने के आधार पर उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण समाप्त किया गया है, जबकि तहसीलदार को प्रकरण समाप्त नहीं कर स्थगित रखना चाहिए था । अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन के संबंध में अद्यतन स्थिति ज्ञात करते हुए कार्यवाही कर यथोचित आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–1–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर